



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT
राष्ट्रीय सेवा योजना
NATIONAL SERVICE SCHEME



पत्रांक: 104/02/रा0से0यो0/1009
दिनांक: 25 अप्रैल, 2023

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त महाविद्यालय/संस्थान
राष्ट्रीय सेवा योजना
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 का व्यय विवरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक डा0 मंजु सिंह, विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या 161/सत्तर-रा0से0यो0को0-2023 दिनांक 18 अप्रैल, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में सामान्य कार्यक्रम तथा विशेष शिविर कार्यक्रमों के आयोजन हेतु महाविद्यालय स्तर पर व्यय धनराशि का वास्तविक व्यय विवरण शासन को प्रेषित करना अपेक्षित है । वास्तविक व्यय विवरण पूर्ण मितव्ययता तथा पारदर्शिता के साथ बनाया जाये ताकि धनराशि की सम्परीक्षा के समय किसी प्रकार की आपत्ति न लगे । पत्र के साथ प्रारूप-3 तथा प्रारूप-4 दिये गये हैं । उन्हें सावधानी के साथ पूर्ण करें तथा दोनों प्रपत्रों पर प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं मोहर अवश्य हो ।

यहां यह भी अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के लिये बजट की मानक दरों में कुछ परिवर्तन किया गया है जो पत्र के साथ संलग्न हैं ।

अतः आपसे अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 का व्यय विवरण जो भी वास्तविक (Actual खर्चा) हो को निर्धारित प्रारूप पर भर कर दिनांक 30.04.2023 तक प्रत्येक स्थिति में राष्ट्रीय सेवा योजना विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा कराने का कष्ट करें । वास्तविक व्यय विवरण के अभाव में किसी भी महाविद्यालय को अनुदान निर्गत नहीं किया जायेगा ।

भवदीय


(डॉ० वीरेन्द्र सिंह)

कार्यक्रम समन्वयक, रा0से0यो0


राष्ट्रीय सेवा योजना
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय
मेरठ

सत्र एवं बजट की मानक दरें

सत्र— राष्ट्रीय सेवा योजना का सत्र वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है । (सत्र 2022-23 से लागू)

बजट— अन्य मदें निम्नवत हैं —

क्र० सं०	व्यय की मद	100 छात्र संख्या वाली इकाई की दर से
1	अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारी का आउट ऑफ पॉकेट एलाउन्स	500.00 प्रति माह अधिकतम
2	अंशकालिक लिपिक को मानदेय	185 प्रति माह अधिकतम
3	अंशकालिक चपरासी को मानदेय	125 प्रति माह अधिकतम
4	आवश्यक उपकरण की खरीद	3000.00
5	फोटो/स्टेशनरी/पोस्टेज/डाक्यूमेंटेशन(रिपोर्टिंग आदि) पर	3000.00
6	राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारियों के बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय पर	1300.00
7	नियमित कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिगृहीत ग्राम/मलिन बस्ती में एक दिवसीय शिविरों के आयोजन हेतु (छात्रों को जलपान इत्यादि के) प्रति शिविर	2000.00
8	सरकार द्वारा देय अभियान तथा जन जागरूकता रैलियों का आयोजन, वृक्षारोपण, रक्तदान, युवा सप्ताह, पर्यावरण दिवस, मतदाता जागरूकता, सड़क सुरक्षा, महिला सुरक्षा, स्वच्छता कार्यक्रम तथा विभिन्न दिवसों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों (राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस, गांधी जयन्ती, योग दिवस आदि) कार्यक्रमों के बैनर, जलपान एवं अन्य संसाधन हेतु व्यय	9000.00
9	आनुषंगिक व्ययों हेतु	500 / —

- राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित कार्यक्रमों के आयोजन हेतु बजट 100 छात्र वाली इकाई पर महाविद्यालय स्तर पर कुल 34500.00 प्रति इकाई अधिकतम देय होगा । विशेष शिविर कार्यक्रमों के आयोजन हेतु 50 छात्रों की इकाई पर रु० 35000.00 तथा दिवसीय शिविर हेतु 7000.00 प्रति इकाई देय होगा ।
- उक्त धनराशि का प्रयोग विशेष शिविर के आयोजन हेतु व्यवस्था पर तथा शिविर में प्रतिभाग कर रहे स्वयंसेवकों/स्वयंसेविकाओं के भोजन आदि पर व्यय किया जाये ।
- व्यय मितव्ययता के आधार पर किया जाये ताकि उक्त मदों में बचत करके आवश्यकतानुसार कार्यक्रम सम्बन्धी अन्य मदों में भी धनराशि व्यय की जा सकती है । रा०से०यो० की एक इकाई में 01 लिपिक व 01 अनुसेवक तथा एक से अधिक इकाईयों की दशा में अधिकतम 01 लिपिक व 02 अनुसेवक से अधिक सम्बद्ध न किये जायें ।
- विशेष शिविर में सभी विश्वविद्यार्थियों की उपस्थिति शिविर के पहले दिन से (मध्याह्न 12.00 बजे से) शिविर के अन्तिम दिन (सायंकाल 04.00 बजे तक) आवश्यक है । ऐसा न होने पर शिविर निरस्त किया जा सकता है । साथ ही शिविर विशेष शिविर के आयोजन की सूचना 15 दिन पूर्व राष्ट्रीय सेवा योजना विश्वविद्यालय कार्यालय, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना, केन्द्रीय भवन, अलीगंज लखनऊ तथा विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाये ।
- भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार विशेष शिविरों का आयोजन मात्र दिवसीय विश्वविद्यालय के रूप में समान्यतः न किया जाये । अपरिहार्य परिस्थितियों में दिवसीय शिविर विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति से ही आयोजित किये जायें ।

Kantur
25-Apr-23

6. राष्ट्रीय सेवा योजना के मद से खरीदी गयी सामग्रियों/उपकरणों आदि के लिये उपभोग्य (कन्ज्यूमेबल) तथा अनुपयोग्य (नॉन कन्ज्यूमेबल) दो प्रकार के स्टॉक रजिस्टर बनाये जायें तथा संस्थाध्यक्ष द्वारा गठित समिति के माध्यम से वर्ष में कम से कम एक बार स्टोर का भौतिक सत्यापन कराया जाये । कीत सामग्रियों के वाउचर इत्यादि अभिलेख संस्था/इकाईस्तर पर ही सुरक्षित रखे जायें । सम्परीक्षा (ऑडिट) के समय रोकड़ पुस्तक सहित सभी लेखा पुस्तकें व वाउचर प्रस्तुत किये जायें । सम्परीक्षा के पश्चात् लेखा पुस्तकें व वाउचर इत्यादि पुनः महाविद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखें जाये ताकि कोई भी ओडिट आपत्ति होने पर सम्बन्धित लेखों को प्रस्तुत किये जा सके ।
7. धनराशि के लेनदेन हेतु सी0एन0ए0 एकाउन्ट का प्रयोग होगा जिनका संचालन शासकीय नियमों व सीमा के अन्तर्गत होगा ।

भवदीय

U. Singh

(डॉ० वीरेन्द्र सिंह)

कार्यक्रम समन्वयक रा0से0यो0

कार्यक्रम समन्वयक

Kantor

राष्ट्रीय सेवा योजना

25 APRIL 2023

धरम सिंह विश्वविद्यालय

मेरठ

प्रपत्र -3

राष्ट्रीय सेवा योजना -नियमित कार्यक्रम के अन्तर्गत महाविद्यालय को स्वीकृत अनुदान का व्यय विवरण विश्वविद्यालय को प्रेषित करने हेतु प्रारूप

पत्र संख्या :

दिनांक :

वर्ष 201 -201

1. विश्वविद्यालय का नाम :
2. महाविद्यालय का नाम :
3. नियमित कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित छात्र संख्या :
4. महाविद्यालय स्तर पर पंजीकृत छात्र संख्या 'इकाईवार'

	प्र०	इ०	द्वि०	इ०	तृ०	इ०	च०	इ०
पुरुष :								
महिला :								
योग :								
5. गत वित्तीय वर्ष 31 मार्च 201 रु०.....
को अव्ययित शेष
6. अन्य स्रोत से आय ब्याज आदि रु० :.....
7. विश्वविद्यालय से वर्ष 201 -201 रु :
में प्राप्त धनराशि चैक संख्या व दिनांक सहित.....
8. व्यय हेतु कुल उपलब्ध धनराशि रु० :
'5+6+7'
- 9 (क). महाविद्यालय स्तर पर नियमित कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय धनराशि का विवरण

'राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रत्येक इकाई का पृथक-पृथक व्यय का विवरण भी निम्न प्रारूप में संलग्न किया जाये'

1. अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारी का आउट ऑफ पॉकेट एनाउन्स रु० :
2. अंशकालिक लिपिक का मानदेय रु० :
3. अंशकालिक चपराशि का मानदेय रु० :
4. स्टेशनरी रु० :
5. डाक टिकट रु० :
6. यात्रा व्यय रु० :
7. आवश्यक उपकरणों का क्रय रु० :
8. अन्य व्यय 'मदवार अंकित किया जाय' रु० :

कुल योग रु० :

- 9 (ख). नियमित कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिगृहीत ग्राम / मलिन बस्ती में आयोजित कार्यक्रमों पर व्यय धनराशि का विवरण :

क्रमांक	नियमित कार्यक्रम / एक दिवसीय शिविर आयोजन का स्थल	प्रतिभागियों की संख्या पु० म० योग	जलपान आदि पर व्यय की गई धनराशि
---------	--	-----------------------------------	--------------------------------

कुल योग :

Cont...

वित्तीय वर्ष में कुल व्यय धनराशि 'क+ख' रु० :

10. 31 मार्च, 20 को अव्ययित शेष धनराशि '8-9' रु० :

मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषणा करता हूँ कि मैंने शासन के निर्धारित मानक के अनुसार ही व्यय कर उपर्युक्त व्यय विवरण प्रस्तुत किया है जो पूर्णतः सत्य है ।

प्रति हस्ताक्षर

कार्यक्रम अधिकारी का नाम
'इकाई वार'

हस्ताक्षर

महाविद्यालय के प्राचार्य/ प्राचार्या
का नाम व हस्ताक्षर
'मुहर सहित'

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

प्रपत्र-4

राष्ट्रीय सेवा योजना-सात दिवसीय विशेष शिविर कार्यक्रम के अन्तर्गत महाविद्यालय को स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण विश्वविद्यालय को प्रेषित करने का प्रारूप

पत्र संख्या :

दिनांक :

वर्ष 201 -201

1. विश्वविद्यालय का नाम : चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
2. महाविद्यालय का नाम :
3. विशेष शिविर कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित छात्र संख्या :
4. सात दिवसीय विशेष शिविर कार्यक्रम में पुरुष : महिला भाग लेने वाले स्वयं सेवियों की संख्या :
योग :
5. गत वित्तीय वर्ष '31 मार्च 201 ' रु० को अवययित धन राशि
6. अन्य स्रोत से आय : रु०
7. वर्ष 201 -201 में विश्वविद्यालय से प्राप्त धनराशि रु०
चैक संख्या व दिनांक धनराशि
.....
.....
.....

योग:

8. व्यय हेतु कुल उपलब्ध धनराशि रु०
'5+6+7'.....

9. सात दिवसीय विशेष कार्यक्रमों का विवरण :

क्र० सं०	राष्ट्रीय सेवा यो०	शिविर स्थल का नाम इकाई का	शिविर आयोजन की तिथियां	शासन को शिविर आयोजन की सूचना प्रेषित करने की तिथि	विशेष शिविर में भाग लेने वाले स्वयं सेवियों की संख्या पु० महि० योग	शिविर आयोजन पर व्यय	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8

10. 31 मार्च, 201 को अव्ययित शेष धनराशि रु० :-----

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषणा करते हैं कि विशेष शिविर कार्यक्रम हेतु शासन के निर्धारित मानक के अनुरूप ही व्यय कर उपर्युक्त व्यय विवरण प्रस्तुत किया है जो पूर्णतया सत्य है।

कार्यक्रम अधिकारी का नाम

हस्ताक्षर

प्राचार्य / प्राचार्या का नाम
हस्ताक्षर मुहर सहित